रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 275] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 1985/आषाढ़ 10, 1907
No. 275] NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 1985/ASADHA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1985

अधिसूचना

सं. 152/85-सीई

सा. का. नि. 533(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 123/81-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 जून, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के प्रारंभिक भाग में "उत्पाद शुल्क पूंजी माल, संघटकों और कच्ची सामग्री को" शब्दों के स्थान पर "उत्पाद शुल्कार्थ पूंजी माल, संघटक, कच्ची सामग्री, खपने वाले माल और फालतू पुर्जों को" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 71/6/85-सीएक्स-2]

सी. पी. श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st July, 1985

NOTIFICATION

NO. 152|85-CE

G.S.R. 533(E).---In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 123|81-Central Excises, dated the 2nd June, 1981, namely :---

In the opening portion of the first paragraph of the said notification, for the words "excisable capital goods, components and raw materials", the words "excisable capital goods, components, raw materials, consumables and spares" shall be substituted.

[F. No. 71|6|85-CX. 2]

C. P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985